

न्यायालय कलेक्टर(शेखर वर्मा) जिला अलीराजपुर (म.प्र.)

प्रकरण क्रमांक 55/बी-121/2015-16

: आदेश ::

(आज दिनांक 23/05/2016 को पारित किया गया)

अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) कठठीवाडा के माध्यम से तहसीलदार कठठीवाडा का जाँच प्रतिवेदन प्राप्त प्रकरण का अवलोकन किया गया। दिनांक 16.3.2016 को घटनास्थल ग्राम कदवाल आम रोड कठठीवाडा) तहसील कठठीवाडा में सड़क दुर्घटना हो जाने से नाना पिता माधिया आयु 17 वर्ष जाति भील निवासी ग्राम रठौडी तहसील कठठीवाडा की मृत्यु होने पर आर्थिक अनुदान राशि रूपये 15000/- (पन्द्रह हजार रूपये) स्वीकृत किये जाने की अनुशंसा की गई है।

तहसीलदार कठठीवाडा एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) कठठीवाडा के अभिमत से सहमत होकर एफ.आई.आर एवं पी.एम.रिपोर्ट, मृत्यु प्रमाण पत्र के आधार पर मृतक के वारिशान में उसकी माता श्रीमति कमली पति माधिया जाति भील निवासी रठौडी को मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय भोपाल के ज्ञाप क्रमांक/ एफ-20-21/2012/1/4 भोपाल, दिनांक 16/07/2014 में निहित प्रावधान अनुसार सड़क दुर्घटना में मृत्यु होने पर आर्थिक अनुदान सहायता राशि रूपये 15,000/- (पन्द्रह हजार रूपये) स्वीकृत किये जाते हैं।

उक्त व्यय मांग संख्या 02-लेखाशीर्ष 2235 सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण कार्यक्रम -800-अन्य व्यय- (1982) दुर्घटना में मृतकों के परिवार तथा घायलों को वित्तीय सहायता -42 सहायता अनुदान -007 अन्य आयोजनेत्तर के अंतर्गत विकलनीय होगी। अनुदान राशि पीड़ित व्यक्ति को तत्काल वितरित की जावें।

Sd/-
(शेखर वर्मा)
कलेक्टर

जिला अलीराजपुर

पृ0क/392/रीडर/2016
प्रतिलिपि:-

अलीराजपुर दिनांक 23/5/2016

- 1 जिला कोषालय अधिकारी जिला अलीराजपुर ।
 - 2 प्रभारी अधिकारी (राहत शाखा) जिला कार्यालय अलीराजपुर
 - 3 प्रभारी अधिकारी (वित्त-2) जिला अलीराजपुर। (बैंक खाते की छायाप्रति संलग्न)
 - 4 अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) कठठीवाडा की ओर सूचनार्थ।
 - 5 प्रभारी अधिकारी (एन.आई.सी.) जिला कार्या. अलीराजपुर की ओर अपलोड हेतु।
 - 6 सहायक जनसंपर्क अधिकारी जिला अलीराजपुर ।
 - 7 तहसीलदार तहसील कठठीवाडा की ओर पालनार्थ।
- संबंधित उसकी माता श्रीमति कमली पति माधिया जाति भील निवासी रठौडी की ओर सूचनार्थ। मोबाईल न0 (07354622928)

कलेक्टर
जिला अलीराजपुर